न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 9/2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
कस्तुराराम पुत्र ओखाजी, जाति मेघवाल, निवासी गोल (उम्मेदाबाद), तहसील व जिला जालोर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर दिनांक 11.7.2016(प्रकरण सं. 632/2016)

उपस्थिति :–
1.श्री तेजसिंह बालावत्,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 26.2.2018

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का गोल ने अपीलांट द्वारा संवत् 2072 में मौजा गोल के खसरा नम्बर 139 रकबा 2.05 हेक्टर, गैर मुमकिन धोरा पर अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार जालोर को भेजने पर तहसीलदार जालोर ने धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया ,अपीलांट को सुनवाई का मौका नही दिया,खाली आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाए गए। तहसीलदार जालोर ने अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर भौतिक रूप से बेदखली व जुर्माना 50 गुना आरोपित किया। अपीलांट को साक्ष्य,सबूत पेश करने का मौका नही दिया गया तथा अपीलांट के हस्ताक्षर खाली कागजों पर करवाए गए। अपीलांट का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से पुश्तैनी रूप से चला आ रहा है। निर्णय दिनांक 11.7.2016 की जानकारी अपीलांट को नही दी गई,दिनांक 2.12.2016 को जब पटवारी ने जुर्माना हेतु पैसे मांगे तब निर्णय की जानकारी हुई। जालोर आकर नकलों हेतु आवेदन किया,नकले दिनांक 8.12.2016 को प्राप्त हुई ,नकले प्राप्त करने की तारीख से अपील अन्दर म्याद है। फिर भी धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार

कर तहसीलदार जालोर का आदेश दिनांक 11.7.2016 निरस्त करावे व प्रक रण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करावे। अपीलांट ने अपील में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शथपत्र तथा फहरिस्त के साथ निर्णय आदि की प्रमाणित प्रति पेश की है। इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया ।

2. अपीलांट के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र का रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि अदालत मातहत् ने अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नही दिया गया है,अपीलांट का पीढीयों के कब्जा है। अतः अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जालोर को आदेश दिनांक 11.7.2016 निरस्त करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी अभिभाषक ने बहस में बताया कि अपीलांट ने अपील म्याद बाहर पेश की गई है क्योंकि अपीलांट के वकील निर्णय दिनांक 11.7.2016 के दिन अदालत मातहत में उपस्थित थे तथा अपील दिनांक 13.12.2016को यानि करीब 5 माह देरी से पेश की गई है जो म्याद बाहर है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में साक्ष्य,सबूत पेश नही करने से व उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन धोरा होने यानि सरकारी भूमि होने से तहसीलदार जालोर द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा संवत् 2074 में मौजा मौजा गोल(उम्मेदाबाद) के खसरा नम्बर 139 कुल रकबा 2.05 हेक्टर में से 2.05 हेक्टर पर अतिक्रमण कर कब्जा करने से पटवारी हल्का गोल ने रिपोर्ट जिसको भू अभिलेख निरीक्षक उम्मेदाबाद द्वारा जांच की गई है,अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जालोर को पेश की ,पेश करने पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण सं. 632/2016 दर्ज कर, अपीलांट को दिनांक 28.6.2016 को साक्ष्य,सबूत पेश करने हेतु समय दिया गया लेकिन अपीलांट द्वारा उक्त दिवस को साक्ष्य,सबूत पेश नही करने से तहसीलदार जालोर द्वारा दिनांक 11.7.2016 को बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया गया है जो सही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

आदेश

अपीलांट द्वार तहसीलदार जालोर के आदेश दिनांक 11.7.2016 (प्रकरण सं. 632/2016) के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

Sd
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 26.2.2018 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

Sd
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर